पत्रांक: बीआरएलपीएस/प्रोजेक्ट-एमएनई/1373/18/..4218..

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

जीविका

दिनांक: 10-12-2021

कार्यालय आदेश

जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार अन्तर्गत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अन्य अनुसूचित जाति, जनजाति के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को आजीविका संवर्धन, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण हेतु क्रियान्वित "सतत् जीविकोपार्जन योजना" की कार्य अवधि का विस्तार राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त तीन वर्षों (2021-2024) के लिए किया गया है।

अबतक कुल 1,25,261 अत्यन्त निर्धन परिवारों का चयन किया जा चूका है। योजना के अन्तर्गत कुल 78,243 ताड़ी तथा देशी शराब से जुड़े परिवारों कि पहचान की गयी है, जिसमे से 46,898 परिवारों को स्वयं सहायता समूह से तथा 31,345 परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया। योजना अंतर्गत जोड़े गए परिवारों में से 26,612 परिवार ताड़ी तथा 4733 परिवार देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े हुए थे।

जीविका संपोषित ग्राम संगठनों द्वारा एक विशेष अभियान प्रस्तावित है **(15 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2021 तक)** जिसके माध्यम से देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अन्य अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थियों का समावेशन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रस्तावित अभियान सम्बंधित दिशा-निर्देश निम्नलिखित है:-

1. ***जिला प्रशासन से सूचि:-*** जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा जिला प्रशासन से देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार की सूची की माँग की जाएगी। प्राप्त सूची को प्रखंड इकाई से साझा किया जायेगा।
2. ***चयन प्रक्रिया हेतु टीम का गठन :-*** प्रखंड परियोजना प्रबंधक के नेतृत्व में प्रत्येक ग्राम संगठनों में तीन सदस्यीय टीम का चयन किया जायेगा। सभी ग्राम संगठनों से दो-दो सदस्यों का चयन किया जायेगा जो पढ़ और लिख सके। सम्बंधित ग्राम संगठनों के बुक कीपर या जीविका मित्र इस टीम के सदस्य होंगे। तीन सदस्यीय टीम द्वारा लक्षित परिवारों के अनुमोदन की प्रक्रिया 5 दिनों में समाप्त किया जाना है। टीम के उन्मुखीकरण का कार्य प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा किया जायेगा।
3. ***लक्षित परिवारों के चयन की प्रक्रिया :-*** क्षेत्रीय समन्वयक/लाइवलीहूड्स स्पेशलिस्ट/ सामुदायिक समन्वयक द्वारा मास्टर बुक कीपर या क्लस्टर फैसिलिटेटर की सहायता से प्रत्येक चयनित परिवारों का जाँच कर प्रतिवेदन प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई में जमा किया जायेगा।

प्रत्येक ग्राम संगठन में 5 दिवसीय अभियान की रूपरेखा

पहला दिन :

ग्राम संगठनों की विशेष बैठक : सतत् जीविकोपार्जन योजना पर ग्राम संगठनों के सदस्यों का उन्मुखीकरण

ग्राम संगठन (VO) के प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों को सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयन प्रक्रिया पर उन्मुखीकरण किया जाएगा। उन्मुखीकरण के दौरान इस बात पर बल दिया जाएगा कि अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सतत्

जीविकोपार्जन योजना कैसे मददगार होगी एवं उनके साथ जिला प्रशासन से प्राप्त सूची भी साझा किया जायेगा ताकि चयन प्रक्रिया ग्राम संगठन के द्वारा पूरी हो तथा ग्राम संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थियों का चयन सही एवं ससमय हो।

<u>दूसरा, तीसरा तथा चौथा दिन :</u>

गाँव का भ्रमण और अत्यंत निर्धन परिवारों का सूचीकरण एवं पात्रता अनुसार चयन जिला से प्राप्त सूची आधारित जाँच

टीम के द्वारा गृह भ्रमण के दौरान सतत् जीविकोपार्जन योजना के मापदंडों के आधार पर निम्नलिखित परिवारों का चयन किया जायेगा :-

1. **ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार**
2. **देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुडे अत्यंत निर्धन गरीब परिवार।**
3. **अनुसूचित जाति / जनजाति समुदायों के अत्यंत-गरीब परिवार। .**

इस संबंध में चयन टीम एक निर्धारित प्रपत्र भरेगी और मापदंडों के आधार पर सतत् जीविकोपार्जन योजना का हिस्सा बनने वाले पात्र परिवारों का सूचिकरण करेगी।

<u>पाँचवाँ दिन :</u>

ग्राम संगठन द्वारा चयनित परिवारों के चयन हेतु विशेष बैठक

प्रखंड परियोजना इकाई एवं चयनित टीम के सदस्यों द्वारा अत्यंत निर्धन परिवारों की सूची पर चर्चा एवं उसके सत्यापन हेतु ग्राम संगठन की विशेष बैठक (प्रतिनिधि निकाय/ BOD सदस्यों के साथ) का आयोजन किया जाएगा |

ग्राम संगठन चर्चा के उपरांत संतुष्ट होने पर चयनित परिवारों के चयन का अनुमोदन करेगा एवं अनुमोदनोपरान्त सी.आर.पी. टीम द्वारा चिह्नित अत्यंत-गरीब परिवारों की अंतिम सूची अनुलग्नक 3 के प्रारूप में तैयार की जाएगी |

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा अभियान के दौरान ही सूचीबद्ध परिवारों का गृह भ्रमण एवं सत्यापन किया जायेगा एवं जाँचोपरांत चयनित परिवारों के विवरणी की प्रविष्टि सम्बंधित MIS में सामानांतर किया जायेगा।

जिला परियोजना प्रबन्धकों / प्रभारीयों को निदेशित किया जाता है कि वे इस अभियान के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करेंगे और इसके साथ ही लक्षित परिवारों के चयन की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे। जिला एवं प्रखंड स्तर के सभी कर्मी उपरोक्त विशेष चयन अभियान में सहयोग करेगें।

संलग्नन

अनुलग्नक 1: लक्षित परिवारों का सर्वे प्रपत्र

अनुलग्नक 2: प्रखंड इकाई द्वारा लक्षित परिवारों का जाँच प्रतिवेदन

अनुलग्नक 3: ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदित चयनित परिवारों की सूची

10/12/2024

(बालामुरूगन डी.)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

ज्ञापांक: बीआरएलपीएस/प्रोजेक्ट-एमएनई/1373/18/...4218....पटना, दिनांक...10-12-2021...

प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

10/12/2021

(बालामुरूगन डी.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

ज्ञापांक: बीआरएलपीएस/प्रोजेक्ट-एमएनई/1373/18/...4218....पटना, दिनांक...10-12-2021...

1. जिला पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. आरक्षी अधीक्षक, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. सभी सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका), सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/12/2021

(बालामुरूगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

जीविका द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत परिवार सर्वेक्षण प्रश्नावली

A. मूलभूत जानकारी

सर्वेक्षण का तारीख	
परिवार के मुखिया का नाम	
गाँव का नाम	
वार्ड संख्या	
पंचायत का नाम	
प्रखंड का नाम	
जिला का नाम	
ग्राम संगठन का नाम	

➢ जिला प्रशासन द्वारा सूची प्राप्त परिवार (हाँ / नहीं) ....

B. उत्तरदाता के बारे में जानकारी

1. उत्तरदाता का नाम : ____________________

2. उत्तरदाता की आयु : ____________________

3. उत्तरदाता का लिंग :
कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें

पुरुष		महिला		अन्य	

4. परिवारों के सदस्यों की संख्या:

व्यस्क पुरुष		व्यस्क महिला		बच्चे	लड़का:
					लड़की:

5. परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या :

पुरुष		महिला	

6. पारिवारिक विवरणी:

क्र. सं.	परिवार के सदस्य का नाम (बड़े से छोटे उम्र के क्रम में)	आयु	व्यवसाय	मासिक आय ₹	टिप्पणियां

661363/2021/M&E-JEEVIKA

नोट: यदि यहां तक की जानकारी प्राप्त करने तक परिवार की कोई भी महिला कार्य करने योग्य एवं समूह से जुड़ने लायक नहीं पाए जाती है तो सर्वेक्षण कार्य उचित कारण देते हुए समाप्त करे ।अन्यथा लक्षित महिला लाभार्थी की श्रेणी में पाए जाने की स्थिति में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नावली को भरें।

C.लक्षित परिवार (महिला समूह से जुड़ी हैं / जुड़ने योग्य है) के संबंध में जानकारी

1. महिला का नाम : ____________________

2. महिला की आयु : ____________________

3. जन्म तिथि(दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार) : ____________________

4. वैवाहिक स्थिति : विवाहित ☐ अविवाहित ☐ विधवा ☐
कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें
तलाकशुदा ☐ विवाहित लेकिन पति के साथ नहीं रहती है ☐

5. पति/पिता का नाम : ____________________

6. शैक्षणिक योग्यता:(कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें)

निरक्षर	हस्ताक्षर साक्षर	प्राथमिक	मैट्रिकुलेशन (10thपास)	उच्च माध्यमिक (10+2 पास)	स्नातक	स्नातकोत्तर

7. जाति श्रेणी: अनुसूचित जाति (SC) ☐ अनुसूचित जन जाति (ST) ☐ पिछड़ा जाति (BC) ☐
अत्यंत पिछड़ा जाति(EBC) ☐ अल्पसंख्यक(Minority) ☐ सामान्य (Gen.) ☐

8. उत्तरदाता महिला किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) का सदस्य है : हां ☐ नहीं ☐

9. यदि हां, तो स्वयं सहायता समूह (SHG) का नाम : ____________________

661363/2021/M&E-JEEVIKA

D.लक्षित परिवारों को चयन करने का जाँच प्रतिवेदन

लक्षित परिवार की परिभाषा :सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को शामिल किया जायेगा।

(क) अनिवार्य मापदंड: अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन तब होगा जब वे दो अनिवार्य मापदंडो को पूरा करते हैं |

क). चयन के लिए, सभी अनिवार्य मापदंड पुरे करने हैं :-											
(क) देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				(ख) अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				(ग) ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार			
क्रसं.	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र सं	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र सं	मापदंड	हाँ	नहीं
1 (a)	परिवार के सदस्य देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े थें			2 (a)	अनुसूचित जाति एवं जनजाति से परिवार है			3 (a)	ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े थें		
1(b)	परिवार का मासिक आय (₹ 5000 से कम है)			2(b)	परिवार का मासिक आय (₹ 5000 से कम है)			3 (b)	परिवार का मासिक आय (₹ 5000 से कम है)		

(ख) वैकल्पिक मापदंडो: अत्यंत निर्धन गरीब परिवारों का चयन तब होगा जब निम्न चार वैकल्पिक मापदंडो में से दो में नहीं आता हैं |

क्रसं	नीचे दिए गए मापदंडो में से चयन के लिए 2 में " नहीं" अनिवार्य है :-	हाँ	नहीं
1	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले 15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है।		
2	परिवार के पास 5 कट्ठा याउससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है ।		
3	परिवार के पास अपना पक्का मकान(छत एवं दिवार) है जो परिवार के सदस्यों के लिए उपयुक्त है।		
4	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनों में लगातार घर में पैसा भेज रहा है।		

नोट: अत्यंत निर्धन परिवारों के चयन के लिए दिशा निर्देश: -

1. सभी दो अनिवार्य मापदंड को भरना आवश्यक है|
2. चयन के लिए 4 मापदंडो में से चयन के लिए '2' में'नहीं'होना अनिवार्य है |

E. सी०आर०पी टीम के द्वारा टिप्पणी:

सी०आर०पी का नाम: .... हस्ताक्षर: ....

सी०आर०पी का नाम: ....हस्ताक्षर: ....

सी०आर०पी का नाम: ....हस्ताक्षर: ....

F. सर्वेक्षण किया गया परिवार (लाभार्थी): | चयनित | अस्वीकृत |

कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें

G. अनुमोदक (ग्राम संगठन) की टिप्पणी : (चयन / अस्वीकृति का कारण)

ग्राम संगठन के सचिव का नाम : ....

तारीख के साथ हस्ताक्षर : ....

नोट: अत्यंत निर्धन परिवारोंके चयन के लिए दिशानिर्देश: -

3. अनुभाग डी.ए (D. क) के तहत सभी दो अनिवार्य मापदंड को भरना आवश्यक है|
4. अनुभाग डी.बी (D. ख) के तहत चयन के लिए 4 मापदंडो में से चयन के लिए '2' में'नहीं'होना अनिवार्य है |

661363/2021/M&E-JEEVIKA

अनुलग्नक : 2

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत प्रखंड इकाई द्वारा लक्षित परिवारों का जाँच प्रतिवेदन

प्रखंड इकाई द्वारा लक्षित परिवारों का सत्यापन ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदन की तारीख से 10 दिनों के भीतर पूरा करना है।यह सत्यापन/ जाँच प्रक्रिया मुख्य रूप से CRP राउंड के दौरान लक्षित परिवारों का चयन की त्रुटियों को हटाने पर केंद्रित होगी, (यदि कोई हो तो) ।प्रखंड इकाई (BPIU) द्वारा नए परिवारों का चयन नहीं किया जाना है ।

A. मूलभूत जानकारी

प्रखंड इकाई (BPIU) द्वारा सत्यापन की तिथि	
लक्षित परिवार का नाम (महिला लाभार्थी)	
जिला का नाम	
प्रखंड का नाम	
पंचायत का नाम	
ग्राम संगठन का नाम	
ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवार का सत्यापन की तिथि	

B. लक्षित परिवार के बारे में जानकारी

1. जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार): ______________________________

2. परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या :

पुरुष		महिला	

3. लक्षित परिवार का कुल मासिक आय (₹):______________________________

C.लक्षित परिवारों को चयन करने का जाँच प्रतिवेदन

(क) अनिवार्य मापदंड: अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन तब होगा जब वे दो अनिवार्य मापदंडो को पूरा करते हैं |

क). चयन के लिए, सभी अनिवार्य मापदंड पुरे करने हैं :-											
(क) देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				(ख) अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				(ग) ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार			
क्रसं.	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र सं	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र सं	मापदंड	हाँ	नहीं
1 (a)	परिवार के सदस्य देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े थें			2 (a)	अनुसूचित जाति एवं जनजाति से परिवार है			3 (a)	ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े थें		
1 (b)	परिवार का मासिक आय (₹ 5000 से कम है)			2 (b)	परिवार का मासिक आय (₹ 5000 से कम है)			3 (b)	परिवार का मासिक आय (₹ 5000 से कम है)		

(ख) वैकल्पिक मापदंडो: अत्यंत निर्धन गरीब परिवारों का चयन तब होगा जब निम्न चार वैकल्पिक मापदंडो में से दो में नहीं आता हैं |

क्रसं	नीचे दिए गए मापदंडो में से चयन के लिए 2 में " नहीं" अनिवार्य है :-	हाँ	नहीं
1	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले 15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है ।		
2	परिवार के पास 5 कट्ठा याउससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है ।		
3	परिवार के पास अपना पक्का मकान(छत एवं दिवार) है जो परिवार के सदस्यों के लिए उपयुक्त है ।		
4	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनों में लगातार घर में पैसा भेज रहा है ।		

नोट: अत्यंत निर्धन परिवारोंके चयन के लिए दिशा निर्देश: -

1. सभी दो अनिवार्य मापदंड को भरना आवश्यक है|
2. चयन के लिए 4 मापदंडो में से चयन के लिए '2' में'नहीं'होना अनिवार्य है |

प्रखंड इकाई के द्वारा टिप्पणी:

सर्वेक्षण किया गया परिवार (लाभार्थी): चयनित | अस्वीकृत

कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें

अनुमोदक (प्रखंड परियोजना प्रबंधक) की टिप्पणी : (अस्वीकृति का कारण)

सत्यापन में शामिल प्रखंड परियोजना प्रबंधक का नाम एवं हस्ताक्षर

तारीख:

661363/2021/M&E-JEEVIKA

अनुलग्नक : 3

ग्राम संगठन द्वारा सतत्त जीविकोपार्जन योजना के तह्त लक्षित परिवारों की सूची

ग्राम संगठन का नाम : तारीख:

ग्राम: वार्ड संख्या: पंचायत:

प्रखंड: ज़िला:

क. लक्षित परिवारों की संख्या

विवरणी	संख्या
कुल परिवारों की संख्या	
सर्वेक्षण योग्य परिवारों की संख्या	
सर्वेक्षण में शामिल परिवारों की संख्या	
सर्वेक्षण के बाद चयनित परिवारों / लाभार्थियों की संख्या	
सत्यापन की बाद कुल लक्षित परिवारों की संख्या (अंतिम सूची)	

ख. लक्षित परिवारों की सूची

क्र.स.	लक्षित परिवार का नाम(महिला लाभार्थी)	पिता/ पति का नाम	जाति श्रेणी (अ०जा०, अ०जन०जा०,पि०जा०,अ०पि०जा०, अल्पसंख्यक एवं सामान्य)	लक्षित परिवारों की विवरणी			
				देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	जिला प्रशासन द्वारा निर्गत सूची आधारित परिवार (हाँ/नहीं)

661363/2021/M&E-JEEVIKA

हमारा ग्राम संगठन जिसका नाम ...., ग्राम.................................. यह सत्यापित करता है की उपर लिखे परिवार अत्यंत गरीब है ओर उन्हें ग्राम संगठन एवं परियोजना द्वारा सहयोग दिया जायेगा तथा आने वाले तीन महीनो में उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ लिया जाएगा |

क्र.सं.	नाम	पद नाम	हस्ताक्षर	ग्राम संगठन का मोहर एवं सचिव का हस्ताक्षर
1		सचिव		
2		अध्यक्ष		
3		कोषाध्यक्ष		
4		उपसचिव		
5		उपअध्यक्ष		